



भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : roc.lko-mef@nic.in, goimofrolko@gmail.com

पत्र सं० : 8बी/यू0पी0/06/47/2022/एफ.सी. 100

दिनांक : 17.04.2025

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Road/141411/2021

विषय: जनपद जौनपुर के अंतर्गत एन०एच० डिविजन-1, पीडब्ल्यूडी, वाराणसी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं०- 135ए के चैनेज सं०-34.900 (भदोही) से चैनेज सं०-73.134 (जौनपुर) तक चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्तावित 65.612 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 5280 वृक्षों/ पौधों के पातन की अनुमति संबंधी प्रकरण में उत्तर प्रदेश कैम्पा की वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक प्रचालन योजना के अंतर्गत प्रभाग द्वारा प्रस्तावित वर्षाकाल 2025 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का स्थान परिवर्तन के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

संदर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक 2627/11-सी-FP/UP/Road/141411/2021, दिनांक 17.03.2025.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक पी-45/81-2-2022-800(34)/2022, दिनांक 28.03.2022 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रकरण में इस कार्यालय के सम-संख्यक पत्र दिनांक 14.10.2022 द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति एवं दिनांक 10.08.2023 द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की गयी थी। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है।

प्रकरण को दिनांक 25.03.2025 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में Agenda Item No. 2.4 (UP) सम्मिलित किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) ने क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल संशोधन के अनुरोध को निम्न शर्तों पर अनुमोदित करने की अनुशंसा की है :-

1. The comments of the Chief Wildlife Warden (CWLW) shall be submitted for the proposed CA (Compensatory Afforestation) area which falls under the Kaimur Wildlife Sanctuary.
2. CA area need to be revised and proposed from the periphery of the forest boundary. Accordingly, KML file and all related documents need to be uploaded on PARIVESH portal.

भवदीया,

(विजया रात्रे)

सहायक वन महानिरीक्षक (केंद्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैम्पा, लखनऊ।
4. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(विजया रात्रे)

सहायक वन महानिरीक्षक (केंद्रीय)